ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 77-78**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

अनुसूचित जातियों का विकास (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

डॉ० फरहत दुर्रानी
शोध अध्येत्री–मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार), भारत

Received-12.10.2024, Revised-19.10.2024, Accepted-24.10.2024 **E-mail : farhatdurani1984@gmail.com**

सारांशः भारत एक कल्याणकारी राज्य है। समकालीन भारत में होने वाले विकास और प्रगति के सुखद परिणामों पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। अतः भारतीय लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य कमजोर वर्गों को संरक्षण देना है, उनकी सुरक्षा का भार वहन करना है ताकि धीरे–धीरे वे भी समाज के अन्य वर्गों के समान सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकें और उत्तरदायी नागरिकों के रूप में सामाजिक जीवन में अपनी भूमिका निभा सकें।

कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जाति, कल्याणकारी राज्य, विकास और प्रगति, नागरिक का अधिकार, भारतीय लोकतन्त्र, संरक्षण

भारत में कमजोर वर्गों में गिने जाने वाले समूहों में अत्यधिक चर्चित समूह उन जातियों का है जिन्हें अस्पृश्य माना जाता रहा है और जो हजारों वर्षों की अवधि तक अपवित्रता के प्रतीक के रूप में समाज की घृणा, तिरस्कार और शोषण के पात्र रहे हैं। उत्तर–वैदिक काल में 'अन्त्यज' नाम का जो पाँचवाँ वर्ण बना वही आगे चलकर ब्राह्मण युग में पूर्ण दासता का जीवन बिताने को मजबूर हो गया। यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शोषित और दरिद्र रहा है। एक प्रकार से ये शर्तविहीन मजदूर के रूप में जीवन के दिन काटते रहते हैं।

जिस देश की महान् संस्कृति में सहिष्णुता और उदारता को सर्वोपरि मानवीय गुणों के रूप में मान्यता दी गई, जिस संस्कृति के अनुयायियों ने छोटे–छोटे पक्षियों और चीटियों के भी भरण–पोषण और जीवन की कामना की, जिस संस्कृति के निर्माताओं ने दीन, दुःखी और दरिद्र मनुष्यों को भी 'नारायण' के रूप में देखा, उसी संस्कृति का रक्षक और पोषक होने का दम भरने वाले धर्म के ठेकेदारों ने इसी देवभूमि में जन्म लेने वाले और हिन्दू धर्म में अटल विश्वास रखने वाले करोड़ों मनुष्यों को न केवल अस्पृश्य वरन् अदर्शनीय समझकर उन्हें पशुओं से भी घृणित और नरकीय जीवन बिताने को बाध्य कर दिया। यह वास्तव में एक अनहोनी सामाजिक घटना ही है।

भारत में अनुसूचित (अस्पृश्य) जातियों के विकास के प्रयास–

1. **गैर सरकारी संरक्षण :** अछूतों का जीवन प्रत्येक सहृदय व्यक्ति की भावनाओं को झकझोरता रहा है। अनुसूचित जातियों से जुड़ी अस्पृश्यता जैसी भयंकर एवं अव्यवहारिक समस्या को दूर करने के लिये समय–समय पर प्रयास होते रहे हैं। भारतीय इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होनें अस्पृश्यता व जाति भेद के निवारण हेतु साहसिक कदम उठाए। स्वामी रामानन्द, नानक, कबीर, चैतन्य आदि ने भी अस्पृश्य व्यक्तियों को अपनाया। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय का ध्यान इस ओर गया। परन्तु इन छोटे–छोटे प्रयत्नों ने अस्पृश्यता निवारण हेतु देश में कोई सुदृढ़ आन्दोलन खड़ा नही किया। परिणामस्वरूप इस दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त न हो सकी।
2. **सरकारी संरक्षण :** स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के प्रभाव से अंग्रेज सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी सम्बन्धी निर्योग्यताओं का उन्मूलन करने के लिये कदम उठाए। सन् 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएँ। 1936 में जिन प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें बनी, वहाँ हरिजनों के मन्दिर–प्रवेश, शिक्षा और नौकरी की सुविधाओं आदि से सम्बन्धित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई। सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक सरकार ने अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया और इस दिशा में तीव्रता से सक्रिय पग उठाए गए। अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून बनाने के साथ–साथ अनुसूचित जातियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की दृष्टि से उन्हें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई।
3. **संवैधानिक व्यवस्थाएँ :** भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके प्रचलन को दण्डनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 15 खण्ड (1), 17, 38 आदि इस तथ्य के स्पष्ट परिचायक हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त कर दी गयी है और इसका प्रचलन किसी रूप में मान्य नही है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी निर्योग्यता का पालन करवाना देश के कानून के अनुसार अपराध समझा जाएगा।
4. **अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम :** संवैधानिक व्यवस्थाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण इस दिशा में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 का बनना है। यह अधिनियम 01 जून 1955 से समस्त भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार धार्मिक संस्थाएं अस्पृश्य लोगों के लिए खोल दी गई हैं। 03 सितम्बर 1976 को भारतीय संसद ने छुआछूत बरतने, उसका प्रचार करने या उसे न्यायोचित ठहराने के अपराध में कैद या जुर्माने की व्यवस्था को और कठोर बनाने वाले विधेयक को स्वीकृति दे दी। भविष्य में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को सिविल अधिकार संरक्षण कहा जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जनवरी 1990 में लागू हुआ। इसमें अत्याचार की रोकथाम के लिये कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया है।
5. **राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी सूचनाएँ :** वयस्क मताधिकार का अधिकार, अनुसूचित जातियों के लिऐ एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। राजनैतिक दृष्टि से ये लोग केन्द्रीय एवं राज्यों के मंत्रीमण्डलों में बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व करते हैं।
6. **शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ :** अनुसूचित जातियों को आज वही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि अन्य जातियों के लोगो को है। ये उन्हीं स्कूलों व कालेजों में पढ़ते हैं और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। विभिन्न राज्यों में हरिजन व समाज कल्याण निदेशालओं से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि इस दिशा में कार्य उत्साहवर्धक तरीके से हो रहा है।
7. **सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व :** इन लोगों को सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है और इनकी संख्या के अनुपात में स्थान भी सुरक्षित कर दिये गये हैं। नौकरियों में आयु सीमा और योग्यताओं के मापदण्ड में भी विशेष छूट दी जाती है। सरकारी प्रयासों में धीरे–धीरे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रकार की सेवाओं में बढ़ रहा है।
8. **आर्थिक सुविधाएँ:** आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिये केन्द्रीय व राज्य सरकारें निम्न कार्यक्रमों पर बल दे रही हैं–

(क) भूमि वितरण कार्यक्रम।
(ख) कृषि उन्नति के लिये विशेष आर्थिक सहायता।
(ग) छोटे उद्योग–धन्धों के विकास के लिये आर्थिक सहायता।
(घ) आवास योजनाओं का कार्यक्रम।
(ङ) नये उद्योग–धन्धों की स्थापना के लिये ब्याज मुक्त ऋण।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को आवास, सामाजिक न्याय, रोजगार आदि की विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं।

9. **अनुसूचित जाति की दशाओं मे सुधार लाने वाली संस्थाओं को सहायता** : भारत सरकार व राज्य सरकारें उन संस्थाओं एवं समाज सेवी संगठनों को भी अनुदान देती रही हैं, जो अनुसूचित जातियों के लिये विशेष प्रत्यनशील हैं। इन संगठनों में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, दिल्ली भारतीय दलित वर्ग संघ, नई दिल्लीय ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबादय भारतीय रेडक्राम सोसाईटी, नई दिल्ली हिन्द बाल्मीकि सेवक संघ, नई दिल्ली ठक्कर बापा आश्रम, नीमखेड़ी, उड़ीसा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।
10. **पंचवर्षीय योजनाएँ और अनुसूचित जाति कल्याण :** केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति कल्याण कार्यों के अन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, पीने के पानी की पूर्ति आदि मदों को सम्मिलित किया गया है। इस दिशा में जो आँकड़ें सरकारी तौर पर उपलब्ध हैं, उनमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण को सम्मिलित कर लिया गया है। सम्मिलित कल्याण कार्य (हरिजन व जनजातीय कल्याण) पर होने वाले व्यय की राशि में तीव्रता से वृद्वि से यह पता लगता है कि देश की सरकार इस दिशा में विशेष तौर पर प्रत्यनशील है।

अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार लाने अथवा अस्पृश्यता–उन्मूलन के लिये कुछ सुझाव – कानून बना देने या भाषण देने से ही अनुसूचित जातियों की स्थिति मे सुधार नहीं लाया जा सकेगा। इनकी अवस्था में सुधार लाने के लिये निम्न सुझाव उपयोगी साबित हो सकते हैं:

1. शिक्षा और प्रचार के द्वारा जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
2. ग्रामों का विकास नवीन आधारों पर किया जाना चाहिए। ग्रामों में विद्यमान सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों को समाप्त करना होगा।
3. अपवित्र व्यवसायों को मशीनीकरण द्वारा दूर किया जाना चाहिए, तॉकि घृणित व्यवसायों की संख्या कम से कम हो सके।
4. शारीरकि श्रम के प्रति आदर की भावना को विकसिक किया जाना चाहिए।
5. अनुसूचित जातियों में आर्थिक एवं समाजिक सुधार के लिए सामान्य और प्रौद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ताकि अज्ञानता व अंधविश्वास का अंश इनसे दूर हो सके और आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।
6. स्वास्थ्य एवं नैतिक स्तर के विकास के लिए हरिजनों की उचित आवास–सम्बन्धी योजनाओं को तीव्र गति से लागू किया जाना चाहिए।
7. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों पर तीव्रता से बल दिये जाने की आवश्यकता है। इसके द्वारा अधिकांश विपत्तिग्रस्त अस्पृश्य लोगों को शारीरिक व मानसिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भारत में आज भी अधिकांश अनुसूचित जातियाँ जीवन के न्यूनतम जीवन स्तर को कायम रखने में असमर्थ हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न अनुसूचित जातियों की अवस्था में सुधार के लिये हो रहे हैं। इन प्रयासों का फल भी हमारे सामने है और आज अनुसूचित जातियों की अनेक अयोग्यताएँ काफी सीमा तक दूर हो गयी हैं। यही कारण है कि आज अनुसूचित जातियाँ भी अनुभव करने लगी हैं कि स्वतन्त्र भारत में वे उपेक्षित नही हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में सवर्ण हिन्दूओं का हृदय–परिवर्तन करके, अनसूचित जातियों की सदियों से सोई हुई आत्मा को जगाकर, तथा लोगों की मनोवृत्तियों को बदलकर ही वांछित सफलता प्राप्त की जा सकेगी, जिससे एक स्वस्थ समाजिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डी0एन0मजूमदार, रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिा, एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे, 1958 पृष्ठ 395.
2. शर्मा कैलाशनाथ, भारतीय समाज तथा संस्कृति।
3. के0एम0 पन्निकर, हिन्दू सोसाइटी ऐट क्रास रोड्स।
4. रिपोर्ट ऑफ शिड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब कमिश्नर।
5. दैनिक नवभारत, देलही, सितम्बर 1976.

*****